सी-29011/9/2016-सतर्कता

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 06 दिसम्बर, 2016

परिपत्र

विषय -अचल/चल संपत्तियां खरीदते समय नकद लेन-देन से संबंधित सूचनाओं के लिए निदेशों के संबंध में

प्राय: यह देखा गया है कि इस मंत्रालय के कर्मचारी अचल/चल संपत्तियां खरीदने के मामले में अपने मित्रों/रिश्तेदारों/माता-पिता आदि से लिए गए ऋण के बारे में सूचना दे रहे हैं और इस संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दे रहे हैं। यद्यपि कर्मचारियों द्वारा ऋणदाताओं के लिखित विवरणों की प्रतियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं किंतु यह महसूस किया गया है कि ऐसी सूचना अपेक्षित स्तर तक पारदर्शी नहीं हैं। इसलिए सूचनाओं की इस प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की अपेक्षा महसूस की गई है, ताकि दी गई सूचनाएं अधिक पारदर्शी और सही हों।

इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के तहत सभी वित्तीय लेन-देनों की दी गई सूचनाएं केवल चैक/अन्य डिजिटल माध्यम से ही दी जाएं और संबंधित कर्मचारी ऐसे लेन-देनों के समर्थन के दस्तावेजों सहित शपथ-पत्र, मूल प्रति और ऐसे ऋणों, वित्तीय सहायता देने वाले व्यक्तियों के पैन कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।

3. उपर्युक्त दिशा-निदेशों को सख्त अनुपालन के लिए नोट किया जाए।

यह मुख्य सतर्कता अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(बी.पी. पंत) 06/12/16
उप सचिव (सतर्कता)

सेवा में,

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी
2. एसएफआईओ/सीएटी/एनसीएलटी और एनसीएलएटी/सीसीआई/आईआईसीए
3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशकों/कंपनी रजिस्ट्रारों/शासकीय समापकों के सभी क्षेत्रीय कार्यालय
4. गार्ड फाइल

✓ प्रतिलिपि प्रेषित: ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को 'कर्मचारी कॉर्नर' में उपर्युक्त परिपत्र को अपलोड करने हेतु।